भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3820

दिनांक 25.03.2022 को उत्तर देने के लिए

विदेशों में अध्ययन कर रहे भारतीय छात्र

3820. श्री पी. पी. चौधरी:

श्री फ़िरोज़ वरुण गांधी:

श्री एम. के. राघवन

श्री जगदम्बिका पाल:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विदेशी विश्वविद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए विदेशों में अध्ययन कर रहे भारतीय छात्रों के साथ-साथ चिकित्सा पाठ्यक्रमों में विदेशों में नामांकित छात्रों की संख्या का यूक्रेन सहित देश - वार डेटाबेस रखती है;

(ख) यूक्रेन संकट के कारण भारत लौटने वाले छात्रों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार के पास विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के कल्याण के लिए कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास भारत में पढ़ रहे विदेशी छात्रों के कल्याण के लिए कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विभिन्न देशों में भारतीय दूतावास पर्याप्त कर्मचारियों की कमी का सामना कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त कमी को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(च) क्या सरकार की संयुक्त अरब अमीरात में एक आईआईटी खोलने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) और (ख) मंत्रालय के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार लगभग 13 लाख भारतीय छात्र विदेशों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे हैं। हालांकि मेडिकल पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्रों के विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं है। विभिन्न देशों में मौजूद छात्रों की सूची **अनुबंध-I** पर संलग्न है। यूक्रेन संकट के कारण लगभग 22,500 भारतीय वापिस आए हैं, जिनमें छात्र भी शामिल हैं।

(ग) विदेशों में रहने वाले भारतीयों की सलामती भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसमें छात्र भी शामिल हैं। मदद पोर्टल जो फरवरी 2015 में शुरू किया गया था, विदेशों में रहने वाले सभी भारतीयों की

सहायता प्रदान करता है। मदद पोर्टल का छात्र मॉड्यूल, 15 जुलाई, 2016 को शुरू किया गया, जो विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों का डेटाबेस तैयार करने के अलावा वहां मौजूद भारतीय छात्रों को स्वेच्छा से पंजीकरण करने और उनके पाठ्यक्रम, स्थान, संस्था, पाठ्यक्रम की अवधि आदि के बारे में डेटा प्रदान करने में सक्षम बनाता है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के थिंक टैंक भारतीय प्रवासन केंद्र ने "विदेश में अध्ययन के लिए छात्र पुस्तिका" तैयार की है, जो विदेशों में अध्ययन करने के इच्छुक छात्रों को बुनियादी जानकारी प्रदान करती है। मंत्रालय विदेश स्थित अपने मिशनों/केंद्रों के माध्यम से विदेशों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के साथ भी नियमित रूप से बातचीत करता रहता है। विदेश मंत्रालय और विदेश स्थित भारतीय मिशन समय-समय पर परामर्शी जारी करते हैं, जिसमें भारतीय छात्रों को सभी दस्तावेज ले जाने और उचित रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जाता है कि जिन विदेशी संस्थाओं में वे प्रवेश चाहते हैं, वो समुचित रूप से प्राधिकृत हैं और उनके पास क्षमताएं हैं। इसके अलावा, विदेश स्थित मौजूद मिशनों के राजदूत/उच्चायुक्त और वरिष्ठ अधिकारी भारतीय छात्रों से मिलने और उनके मसलों का समाधान करने के लिए स्थानीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का दौरा करते रहते हैं। मिशनों द्वारा मिशन प्रमुखों और अन्य अधिकारियों से मिलने के लिए छात्रों और अनिवासी भारतीयों के लिए ओपन हाउस भी आयोजित किए जाते हैं। मिशन भारतीय छात्र संघों और विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ भी लगातार संपर्क में हैं। किसी भी संकट की स्थिति में छात्रों को भारतीय सामुदायिक कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ़) के तहत भी सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) भारत में अध्ययनरत विदेशी छात्रों के कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाएँ चल रही हैं:-

(i) शिक्षा मंत्रालय के तहत भारत में अध्ययन (एसआईआई) कार्यक्रम, भारतीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने के लिए चयनित मेधावी विदेशी छात्रों को 100% तक ट्यूशन फीस माफी के रूप में छात्रवृत्ति प्रदान करता है। इस कार्यक्रम में 150 से अधिक चुनिंदा भारतीय संस्थान/विश्वविद्यालय भागीदार हैं।

(ii) चैंपियन सर्विसेज सेक्टर स्कीम (सीएसएसएस) के तहत दुनिया भर के मेधावी छात्रों को प्रति वर्ष प्रति छात्र 2.50 लाख रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

(iii) 164 विश्वविद्यालयों द्वारा विदेशी छात्र कार्यालय स्थापित किया गया है।

(iv) प्रवासी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम (एसपीडीसी) पीआईओ बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है।

(ङ) विदेश मंत्रालय, विदेश स्थित भारतीय मिशनों और केंद्रों के साथ-साथ मुख्यालय में जनशक्ति की आवश्यकता की विभिन्न स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा करता है और इसमें कमी होने की स्थिति में उचित कार्रवाई करता है जिसमें संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग को मांगपत्र भेजकर अपेक्षित नियुक्ति द्वारा क्रमशः अतिरिक्त अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती शामिल है। विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केंद्रों में राजनयिक या कांसुलर स्तर पर रिक्तियों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। आम तौर पर, पदधारियों के प्रस्थान और उनके उत्तराधिकारियों के आगमन के बीच का अंतराल न्यूनतम रखा जाता है। चूंकि तैनाती श्रंखला में अक्सर कई अधिकारी शामिल होते हैं, इसलिए कुछ अवसरों पर, विदेश स्थित मौजूद मिशनों/केन्द्रों में कुछ समय के लिए रिक्तियों हो सकती हैं।

(च) जी, हां। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मान्यवर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच 15 फरवरी, 2022 को वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान जारी संयुक्त भारत-यूएई विजन वक्तव्य में उल्लेख किया गया है कि दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को देखते हुए और नवाचार एवं तकनीकी प्रगति को प्रोत्साहित करने और समर्थन करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात में आईआईटी स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है।

***

अनुबंध-I

विदेशों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों का अनुमानित डेटा

(2022 में)

क्र.सं.	देश का नाम	छात्रों की संख्या
1.	आर्मीनिया	8,015
2.	आस्ट्रेलिया	1,00,009
3.	ऑस्ट्रिया	350
4.	अजरबैजान	119
5.	बांग्लादेश	9,308
6.	बेलारूस	793
7.	बेल्जियम	766
8.	बोत्सवाना	*200*
9.	ब्राजील	6
10.	ब्रुनेई दारुस्सलाम	38
11.	बुल्गारिया	357
12.	कनाडा	1,83,310
13.	चीन	6,436
14.	क्यूबा	1
15.	साइप्रस	1,961
16.	चेक गणराज्य	1,500
17.	डेनमार्क	413

18.	मिस्र	400
19.	एस्टोनिया	138
20.	फिनलैंड	519
21.	फ्रांस	10,003
22.	जॉर्जिया	14,000
23.	जर्मनी	34,864
24.	ग्रीस	48
25.	गुयाना	498
26.	हांग कांग	815
27.	हंगरी	932
28.	आइसलैंड	16
29.	इंडोनेशिया	1
30.	ईरान	2,050
31.	आयरलैंड	5,000
32.	इजरायल	1,218
33.	इटली	5,897
34.	जापान	1,302
35.	कजाखस्तान	3,855
36.	किर्गिजस्तान	14,500
37.	लातविया	1,000
38.	लिथुआनिया	1,000
39.	लक्जमबर्ग	2
40.	मलेशिया	3,331
41.	माल्टा	450
42.	मॉरीशस	147
43.	मैक्सिको	108
44.	मोल्दोवा	705

45.	नेपाल	2300
46.	नीदरलैंड	3,200
47.	न्यूजीलैंड	2,664
48.	ऩॉर्वे	480
49.	ओमान	39,550
50.	पनामा	191
51.	फिलीपींस	15,000
52.	पोलैंड	5,000
53.	पुर्तगाल	19
54.	कतर	46,000
55.	कोरिया गणराज्य	1,364
56.	रोमानिया	805
57.	रूसी परिसंघ	18,039
58.	सऊदी अरब	65,800
59.	सर्बिया	5
60.	सिंगापुर	10,000
61.	स्लोवाकिया	202
62.	स्लोवेनिया	36
63.	दक्षिण अफ्रीका	335
64.	स्पेन	1383
65.	श्रीलंका	68
66.	सूडान	3
67.	स्वीडन	2,500
68.	स्विट्जरलैंड	3,980
69.	ताइवान	2,239
70.	ताजिकिस्तान	1,250
71.	थाईलैंड	364

72.	तुर्की	193
73.	यूक्रेन*	-
74.	संयुक्त अरब अमीरात	1,64,000
75.	यूनाइटेड किंगडम	55,465
76.	संयुक्त राज्य अमेरिका	*4,65,791*
77.	उज्बेकिस्तान	250
78.	वेनेजुएला	93
79.	वियतनाम	4
कुल		13,24,954

* यूक्रेन- जानकारी के अनुसार यूक्रेन से सभी छात्रों को निकाल लिया गया है।

***